संख्या–2712 / 1–10–2008–12(73) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट एवं हमीरपुर।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊः दिनांक 13 मई, 2008

विषय :– वर्ष 2007–08 में सूखा से प्रभावित जनपदों में निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांकः 11 मई, 2008 में लिये गये निर्णय के कम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के उददेश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा किये गये ऊर्जीकृत 2773 निजी नलकूपों पर निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था कराये जाने हेतु रू0 15,000/– प्रति निजी नलकूपों की दर से कुल धनराशि रू0 4,15,95,000/– (रूपये चार करोड़ पन्द्रह लाख पंचानब्बे हजार मात्र) की निम्नांकित धनराशि आपके निर्वतन पर रंखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

कमांक	जनपद का नाम	ऊर्जीकृत निजी नलकूपों की संख्या	आबंटित धनराशि
1	झांसी	204	3060000
2	जालौन	205	3075000
3	ललितपुर	301	4515000
4	बांदा	645	9675000 9675000
5	महोबा	135	2025000
6	चित्रकूट	433	6495000
7	हमीरपुर	850	12750000
	कुल योग	**2773**	**41595000**

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि में से ऊर्जीकृत किये गये निजी नलकूपों में **आवश्यकतानुसार** पाइप लाइन बिछाकर तथा प्लेटफार्म का निर्माण करते हुए 1000 लीटर की सिन्टेक्स टंकी स्थापित की जायेगी ताकि सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी उक्त कार्य जल निगम, जल संस्थान अथवा उपयुक्त शासकीय संस्था के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **तहसील स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाय तथा शासन को 03 दिन में अवगत कराया जाय।** तहसील स्तर पर स्थापित होने वाले आपदा नियंत्रण कक्ष का नम्बर स्थानीय समाचार पत्र तथा ग्राम प्रधान के माध्यम से सार्वजनिक किया जाय ताकि सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता प्राप्त हो सके।

5. तहसील स्तर पर मॉग के अनुरूप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक टैंकर अनिवार्य रूप से रिजर्व में रखा जाय। पेयजल की सुविधा प्रदान करने वाले वाहन पर 3–4 टंकी रखी जाय और निरन्तर पेयजल की आपूर्ति की जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि में से व्यय होने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

7. पेयजल आपूर्ति हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि के कार्य की सतत् निगरानी/गुणवत्ता हेतु **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स की टीम भी गठित करेगें** जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी किया जायेगा। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से **02 दिन में** उपलब्ध करा दिया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृति का प्रयोग केवल उपुर्यक्त उल्लिखित कार्यो ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो।

9. उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद के वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

10. उक्त स्वीकृत धनराशि में से आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग **दिनांक 30 जून, 2008** तक अनिवार्य रूप से हो जाय। उक्त अवधि के उपरान्त शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।

11. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी.आई. 134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निदेशों के अधीन ही किया जायेगा।

12. आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाय एवं व्यय धनराशि का मदवार व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि के व्यय का साप्ताहिक विवरण भी प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जाय।

13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

14. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

15. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या – 2712 (1) / 1–10–2008–12(73) / 2008 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, झांसी एवं चित्रकूट धाम ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट एवं हमीरपुर।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग –6 / 11 / वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव